

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**  
(निगमित सतर्कता विभाग)

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1) (बी) के अंतर्गत सूचना विवरण

क्रम सं.	सूचना अधिकार - 2005 के अंतर्गत सूचना	विवरण
(i)	संगठन का विवरण कार्यविधि और झूटी ।	संगठन का विवरण और उनकी सामान्य कार्यविधि संबंधी सूचना भा.वि.प्रा. वेबसाइट <a href="http://www.aai.aero">www.aai.aero</a> उपलब्ध है ।
(ii)	उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और उनके द्वारा निष्पादित कार्य ।	सतर्कता विभाग द्वारा भा.वि.प्रा. द्वारा जारी वित्तीय शक्तियों का पालन किया जा रहा है ।
(iii)	सरणियों के पर्यवेक्षण और जवाबदेही सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई कार्यविधि ।	सतर्कता विभाग द्वारा के.से.आयोग नियमावली भा.वि.प्रा. ईसीडीए विनियम 2003 और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समय समय पर जारी डीओपीटी मार्गनिर्देशन का अनुपालन किया जा रहा है।
(iv)	कार्यविधि हेतु उनके द्वारा तैयार किए गए प्रतिमानक ।	यथोपरि ।
(v)	उनके या उनके नियंत्रणाधीन द्वारा इस संबंध में जारी नियम, विनियम, विनिर्देश, नियमावली और अभिलेख जो इनके कर्मचारियों द्वारा कार्यनिष्पादन हेतु उपयोग किया जा रहा है ।	यथोपरि ।
(vi)	उनके या उनके नियंत्रणाधीन द्वारा दस्तावेजों को वर्गीकृत करने के लिए तैयार किए गए विवरण ।	यथोपरि ।
(vii)	उपलब्ध किसी भी व्यवस्थाओं का विवरण जिससे आम जनता से परामर्श करके या जिसके प्रतिवेदन पर नीतियों का निर्माण और बाद में अनुपालन किया जा सके ।	लागू नहीं ।

(viii)	बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य बोडियों के दो या अधिक व्यक्तियों से उसके भाग के रूप में गठित या उनके सलाह से गठित और इस बोर्डों, परिषद, समितियों या अन्य बोडियों जो आम जनता के लिए प्राप्त हैं या उनकी बैठकों का कार्यवृत्त आम जनता के लिए उपलब्ध हो ।	लागू नहीं ।
(ix)	उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।	ब्योरे का अनुरक्षण मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
(x)	उनके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए मासिक पारिश्रामिक विनिमय में उपलब्ध प्रतिपूर्ति प्रणाली ।	व्योरे का अनुरक्षण वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
(xi)	प्रत्येक अभिकरण के लिए आबंटित बजट, योजनाओं से संबंधित सूचना, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण संबंधी रिपोर्ट।	बजट आबंटन और संवितरण का विवरण वित्त विभाग में उपलब्ध है ।
(xii)	राशियों का आबंटन और उक्त कार्यक्रम के हितभागी के विवरण सहित सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की विधि ।	सतर्कता विभाग के लिए लागू नहीं है ।
(xiii)	उनके द्वारा छूट, परमिट या प्राधिकार प्राप्त करनेवालों का विवरण ।	सतर्कता विभाग के लिए लागू नहीं है ।
(xiv)	इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध सूचना या लंबित सूचना या निकाल दी गई सूचना ।	सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सूचना का विवरण कंप्यूटर में रखे हुए हैं ।
(xv)	यदि आम जनता के उपयोग हेतु कारोबार समय या पुस्तकालय या वाचनालय उपलब्ध है तो नागरिक के उपयोग हेतु उपलब्ध की गई सुविधाओं की सूचना ।	यदि आवश्यक है तो पूर्व सूचना देते हुए सूचना अधिकार आवेदक द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण करने के लिए सूचना दी जाती है ।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण ।	भा.वि.प्रा. वेबसाइट में उपलब्ध है ।
(xvii)	निर्धारित अन्य सूचना जो बाद में प्रत्येक साल अद्यतन करके प्रकाशित किया जाए ।	